4.

आन्तरिक विकास कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किये जाने हेतु अपेक्षित है। विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा रहन रखे जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखने की दृष्टि से Mortgage Deed सम्पादित किया जाना आवश्यक है। नियनानुसार आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर इन्हें रहन मुक्त किये जाने का प्रावधान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के विन्दु सं. 11.00 (iv) में किया गया है। उपरोक्त कार्य

जा चुके है. उनकी सूचना भी समाचार माध्यमों/नोटिस बोर्ड व संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय की वेबसाईट आदि के माध्यम से आमजन तक पहुंचायी जावे, ताकि आमजन को अनुमोदित योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो सके। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 5 में आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़क निर्माण, स्ट्रीट् लाईट, जलापूर्ति, सीव्रेज व ड्रेनेज, वृधारोपण के कार्यो हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये है, जिन कार्योद्ध मानदण्ड पॉलिसी में निर्धारित नहीं है उनका निर्धारण ले-आउट प्लान अनुभोदन के समय संबंधित निकाय द्वारा किया जा सकता है। इन निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरूप ही विकासकर्ता द्वारा कार्य किया जाना

तो ऐसी गतिविधियों को तत्काल रोका जावे। जनता को जागरूक बनाने के लिए ऐसी अनाधिकृत योजनाओं के बारे में समाचार-पत्रों व अन्य संचार माध्यमों से सूचनाएं दी जावें तथा जनता को आगाह करवाजा जावे। जिन योजनाओं की 90ए की कार्यवाही हो चुकी है व ले-आउट प्लान अनुमोदन किये 3.

परिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार की जावें। मास्टर प्लान क्षेत्र में अवैध रूप से अर्थात 90ए की कार्यवाही तथा ले-आउट प्लान * अनुमोदन के बिना यदि प्लॉट बनाकर बेचे जाते हे या उनका विज्ञापन किया जाता है 2.

स्थानीय निकायों को निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :--राज्य के लगभग सभी शहरों में मास्टर प्लान / प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किये जाकर लागू किये जा चुके है। मास्टर प्लान में निर्धारित भू--उपयोग के अनुरूप ही 1. धारा 90ए की कार्यवाही की जावें। केवल अति-आवश्यक होने पर ही भू-उपयोग

राज्य सरवतार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन के किया जा रहा है। भू-माफियाओं चारा सत्त चलाये जा रहे अवैध एवं अनियमित गतिविधियों के चलते कृषि भूमि पर काटे गये आवासीय भूखण्ड़ों को विक्रय किये जाने से धोखेबाजी/जालसाजी के अनावश्यक विवाद होते है व राज्य सरकार को स्टाम्प एवं निकाय/न्यास को शुल्कों की सीधे तौर पर राजस्व हानि होती है तथा अनियोजित विकास होता है। इस सन्दर्भ में सभी प्राधिकरणों / न्यासों व

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए अनुज्ञा एवं भूमि के आवंटन नियम, 2012 व टाउनशिप पॉलिसी, विषय :--2010 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

क. ५.३(७७)नविचि / ३ / २०१०पार्थ- १४

परिपत्र

179 राजप्रधान सरकार

नगरीय विवगस एवं आवासन विभाग

जमपुर, दिनांक- 25 NOV 2015

Unders/Circulary

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

प्रतिलिपि निग्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है---विशिष्ठ रामिन, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजरथान सरकार। निजी राचिव, अतिरिक्त मुख्य रावित्र, नगरीय विकास विभाग।

सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजगेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

mnl

संयुक्त शासन सचिव प्रथम 3 11 12

Orders/Chevilars

सचिव, रवागत्त शारान विभाग जरपुर।

आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जगपुर।

मुख्य नगर नियोजक, राजरशान, जयपुर।

सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।

रक्षित पत्रावली।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।